

S.T.D. 01424 @ 220014

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर-राज.)

क्रमांक 7283*

दिनांक 14/2/07



समाप्त-पत्र

संज्ञावित क्रिया जगता है कि महावीर शिक्षण
संस्थान अध्यक्ष भवेंरलाल पुत्र केसाराय जट के नाम
पर नं. 762 दिनांक 24/2/06 शिक्षण के उद्देश्य के लिए
दिमा गया है।

आज दिनांक 14/2/07 को जेट्टे हस्ताक्षर
व मुहर पालिका सहित जारी किया गया।

14/2/07

प्रदेशी अधिकारी
नगरपालिका, किशनगढ़-रेनवाल

नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-3 फोन : 323267

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, किशनगढ़ (राज.)



निर्माण आज्ञा-पत्र

(राज. नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत)

क्रमांक 1630

दिनांक 27/4/2006

श्री श्री महावीर शिक्षण संस्थान, किशनगढ़-रेनवाल (राज.)

अ.सि. No. 051

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08/3/2006 बाबत निर्माण स्वीकृति का हस्ताक्षर प्राप्त होने पर नगरपालिका/भवन निर्माण आज्ञा समिति द्वारा दिनांक 26/4/2006 को निर्णय लिया जाकर आपको निर्मांकित अनुबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत एवं संशोधित नक्शे के अनुसार निर्माण/पुनः निर्माण एवं परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आज्ञा पत्र की अवधि अधिनियम के अनुसार एक वर्ष की होगी। निर्माण केवल एलएन स्वीकृत नक्शे में बाल्डपाईप के माक A-B-C-D-E-F सीमा में ही किया जाकर।

1. कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार एवं स्वीकृति के अनुसार किया जावेगा।
2. छत के पानी के निकास के लिए सीमेन्ट अथवा लोहे का पाईप दीवार के सहारे लगाया जाकर नीचे उतारना होगा।
3. निर्माण कार्य का मलवा बिना पालिका की आज्ञा प्राप्त किये रास्ते, आम गली, सरकारी जमीन अथवा पालिका भूमि पर नहीं डाला जावेगा।
4. तहारत के मल द्वार के ढक्कन लगाया जाना आवश्यक है।
5. बिना किसी स्वीकृति के किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
6. निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर अन्दर मियाद एक माह में पालिका को लिखित रूप में सूचना देनी होगी। निर्माण शुद्ध फ्लो एण्ड प्रकम में मिल ही बना जावेगा।
7. वर्षा पानी एकत्रित करने हेतु पानी टैंक का निर्माण करना भी आवश्यक है।

अ.सि. मण्डल

अध्यक्ष

नगरपालिका, किशनगढ़-रेनवाल

अधिसायी अधिकारी

नगरपालिका मण्डल, किशनगढ़ (राज.)
जयपुर (राज.)